

25/6/25

प्राथमिक पत्र बाद वापिस लेने की अनुमति
दिये जाने वाली की ओर अपेक्षा हुआ। वाली के
निवेदन पर पत्रावली पूर्व नियोजित विनांक
से नमब की गई। प्राथमिक पत्र का अवलोकन
किया गया। वाली प्रकरण में कोई कार्यवाही
नहीं चाहता है एवं बाद को विज्ञापित करना चाहता
है। अतः प्राथमिक पत्र बाद वापिस लेने की
अनुमति दिये जाने स्वीकार कर दृष्टगत बाद
शुद्ध विज्ञापित कर दिया जाता है। पत्रावली
नमब से कम होकर दायित्व वफा हो।

रजिस्ट्रार

उपखण्ड अधिकारी
बेटा